GST Update on filing of GSTR-3B through EVC by companies

Trade and Industry ने सरकार को Representation दिया था कि की Lockdown period में Interest और late fee से छूट मिलनी चाहिए।इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 39 th मीटिंग में interest से संबंधित फैसला ले चुके हैं कि Interest जोकि Net Output Liability पर ही लगेगा। परंतु इस संबंध में एक्ट में अभी बदलाव सरकार द्वारा किया जाना बाकी है| जीएसटी एक्ट में बदलाव का प्रोसीजर बहुत ही कठिन है। इसके लिए ना केवल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, 2017 में बदलाव करना पड़ता है अपितु सभी SGST तथा UGST Acts में बदलाव होना जरूरी है। CGST Act को पार्लियामेंट से तथा SGST Act को सभी स्टेट असेंबली से पारित करवाना आवश्यक है। इसको करने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है

अभी हाल में सरकार द्वारा GST Payment की अवधि बढ़ा दी गई है। GSTR-3B फाइल करने की due date नहीं बढ़ाई गई है परंतु interest व late fees से छूट दी गई है। अगर आप का टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको पहले 15 दिन तक कोई भी ब्याज नहीं भरना है परंतु उसके पश्चात 24 जून 2020 तक आपको 9% ब्याज देना होगा। इसके आगे भी एक बहुत महत्वपूर्ण point है कि अगर आप 24 जून 2020 तक टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो ब्याज की गणना ड्यू डेट से की जाएगी। 24 जून 2020 तक नहीं लगेगी परंतु अगर आपने 24 जून तक रिटर्न नहीं भरा है तो आपको लेट फीस शुरू से देनी होगी। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मार्च माह का रिटर्न की न्due date 20/04/2020 है परंतु 15 दिन तक आपको कोई भी ब्याज नहीं देना है। 4 मई 2020 तक बिना ब्याज रिटर्न भर सकते हैं। परंतु अगर आपने 4 मई 2020 से लेकर 24 जून 2020 के बीच में रिटर्न भरा है तो आपको 9% के हिसाब से ब्याज देना होगा। परंतु अगर आपने रिटर्न 24 जून के बाद मान लिया जाए 25 जून को फाइल किया है तो आपको इंटरेस्ट 20 अप्रैल 2020 से लेकर 25 जून 2020 तक 18 प्रश्न के हिसाब से लगेगा। इसी प्रकार से अगर आपने रिटर्न 20 अप्रैल 2020 से लेकर 24 जून 2020 तक फाइल कर दिया है तो लेट फीस नहीं लगेगी परंतु अगर आपने रिटर्न 24 जून के बाद में फाइल किया है तो आपको लेट फीस 20 अप्रैल 2020 से लेकर रिटर्न फाइल करने की तारीख तक देनी होगी। इसी प्रकार 5 crore से नीचे turnover वाले taxpayers को भी ब्याज व लेट फीस

से छूट दी गई है। पर यह exemption सिर्फ टैक्सपेयर को ही मिलेगा जिसने सरकार द्वारा नियत किए जी की गई तिथि रिटर्न फाइल कर दिए हैं। इस स्थिति के बाद फाइल करने वाले assesee को पूरा ब्याज वह लेट फीस due date से देनी होगी।

Covid-19 की अवधि में सरकार द्वारा अति प्रशंसनीय Step लिया गया है। कंपनी दो रिटर्न फाइल करते हुए डीएससी लगाना आवश्यक है। परंतु ज्यादातर cases में DSC अपने सलाहकार के यहां रखे हुए होते है| lockdown की स्थिति में कंपनी के employees सीए के ऑफिस में नहीं जा पाते हैं तथा उनका रिटर्न फाइल नहीं हो पाता है। इसके कारण रिटर्न फाइल करने में विलंब हो जाता है। इस कारण सरकार ने कंपनी के केस में भी EVC द्वारा 3B रिटर्न फाइल करना allow कर दिया हैं| अतः हम आशा करते हैं कि सरकार जल्दी ही ईवीसी EVC द्वारा GSTR-1 रिटर्न फाइल करने की सुविधा GST Portal पर उपलब्ध करवा देगी जिसे करकरदाता को GSTR-1 रिटर्न भरने में आसानी होगी| सरकार से यह भी प्रार्थना है की कंपनी के केस में GSTR-3B भी EVC द्वारा फाइल करना allow कर दिया जाना चाहिए।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.